



क्रमांक : एफ 14(1)(80)/निमअ/सामू.वि./2021-22/2578-610

जयपुर दिनांक 21/01/2022

उप/सहायक निदेशक  
महिला अधिकारिता  
समस्त

विषय: सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत गृह (ग्रुप-7) विभाग के माहमारी सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश बाबत।

प्रसंग: गृह (ग्रुप-7) विभाग के आदेश क्रमांक प7(1) गृह -7/2021 दिनांक 17.09 2021 एवं पूर्व विभागीय आदेश क्रमांक 7260-92 दिनांक 20.03.2020, पत्रांक 8142-74 दिनांक 22.02.2021 एवं पत्रांक 31717-749 दिनांक 12.10.2022 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांसगिक पत्र के क्रम में राजस्थान सरकार के गृह (ग्रुप 7) विभाग के आदेश क्रमांक प.7(1)गृह 7/2021 दिनांक 20.01.2022 के माहमारी सतर्क-सावधान जन अनुशासन दिशा निर्देश के तहत कोरोना वायरस संक्रमण के परिपेक्ष्य में जन सामान्य की सुविधा एवं आवश्यक सेवाओं की निरंतर उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए आगामी आदेशों तक शादी-समारोह में अधिकतम 100 व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति दी गई है।

अतः राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों की पूर्ण पालना करते हुए तदानुसार होने वाले सामूहिक विवाहों आयोजनों पर कार्यवाही करे।  
संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(रश्मि गुप्ता )  
आयुक्त

महिला अधिकारिता  
जयपुर दिनांक 21/01/2022

क्रमांक : एफ 14(1)(80)/निमअ/सामू.वि./2021-22/2611-680

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है-

- 1.विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदया, म.बा.वि. राजस्थान।
- 2.निजी सचिव, शासन सचिव, म.बा.वि.
- 3.निजी सहायक, निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएं।
- 4.निजी सहायक जिला कलक्टर, समस्त को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 5.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला समस्त को सूचनार्थ प्रेषित है।
- 6.प्रोग्रामर महिला अधिकारिता को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
- 7.गार्ड फाईल।

अतिरिक्त निदेशक  
महिला अधिकारिता